

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/2023- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण ।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे

अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 923 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।